

## पावर ब्रिड कोर्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005 केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007 Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/2019/M-103 Dated: 15 May, 2019

Joginder Mann, House No. 13, Block CP, Pitampura, New Delhi-110086,

Sub: Information under Right to Information Act, 2005.

Sir/Madam,

This has reference to your RTI request dated 25 March, 2019 for providing information under RTI Act, 2005.

The desired information is attached at Annexure-I.

First Appeal, if any, against the reply of CPIO may be made to the first appellate Authority within 30 days of the receipt of the reply of CPIO. Details of Appellate Authority at Corporate Centre, Gurgaon, under RTI Act, 2005 is as below:

Shri Sanjeev Singh,
Executive Director (CMG) & Director (

Thanking you,

अवदाय,

(जसबीर सिंह)

वरिश्ठ महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.स्.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

## Amorenure-P

| क्रम<br>संख्या | प्रश्न   | प्रारुप उत्तर   |
|----------------|--|---|
| 1.             | सूचना अधिकार अधिनियम की तहत कृपया<br>मुझे यह बताने का कष्ट करे की आपके<br>मंत्रालय से सम्बंधित कौन कौन से विभाग प्रिंट<br>मीडिया के लिए डीएवीपी तहत विज्ञापन<br>निकालते है तथा उन विज्ञापनों को प्राप्त करने<br>की क्या विधि है   आपके विभाग से प्रसारित<br>होने वाले सरकारी विज्ञापनों को मैगजिन में<br>छापने के लिए कैसे प्राप्त किया जा सकता है | डीएवीपी रेट्स पर निकाले जातें हैं। इस तरह के<br>विज्ञापनों के लिए अखबारों का चयन कार्य क्षेत्र के<br>अनुरूप किया जाता है। तथा लक्षित समूह के मध्य<br>कंपनी के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार एवं कारपोरेट<br>सामाजिक दायित्व की ब्रैंडिंग के लिए पावरग्रिड का |

In2